न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 133/2016 **दायरा दिनांक : 02.08.2016**

उनवान

गजरी बाई विधवा देवी लाल जाति, भील (मृतक) का0 मु0:–

रत्नी बाई पुत्री देवीलाल, पत्नी गुलाब, जाति भील, निवासी ग्राम आंवलहेड़ा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र बद्धा, जाति भील, निवासी रीछड़ा उर्फ बागवाला गांव, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़
2. पांची पिता बद्धा, जाति भील, निवासी भुलनखेड़ी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़
3. भंवरलाल पुत्र गुलाब, जाति भील, निवासी भुलनखेड़ी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़
4. रामप्रसाद पुत्र गुलाब, जाति भील, निवासी भुलनखेड़ी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़
5. भूली पुत्र बद्धा, जाति भील, निवासी अकलेरा, जिला झालावाड़
6. रामप्रसाद पुत्र कंचन, जाति भील, निवासी भुलनखेड़ी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़
7. रोडूलाल पुत्र कंचन, जाति भील, निवासी भुलनखेड़ी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सा0 मनोहरथाना जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री ए के जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

श्री बृजबिहारी एवं श्री मुकेश सुमन अभिभाषक रेस्पोडेंट

की ओर से

निर्णय **दिनांक : 29.09.2020**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना के प्रकरण संख्या – 1226/दावा/89/179/94 निर्णय व फाईनल डिक्री दिनांक 23.05.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एवं फाईनल डिक्री पत्रावली संग्रहसार एवं विधि के प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की गैर मौजूदगी में उन्हें एवं उनके अभिभाषक को सुने बिना एवं नोटिस दिये बिना लोक अदालत/केम्प कोर्ट गरबोलिया में आदेश एवं फाईनल डिक्री अपने अधिकारों से परे जाकर पारित की है । अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश एवं फाईनल डिक्री पारित करते समय ग्राम बिशनखेड़ी तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या 33 की खसरा नम्बर 29 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 43 रकबा 2 बीघा कुल 4 बीघा 16 बिस्वा के 1/2 भाग आराजी पृथक खाते दर्ज करने के आदेश दिये गये थे, परन्तु खसरा नम्बर 29 की 2 बीघा 16 बिस्वा आराजी में से 2 बीघा 8 बिस्वा मांगीलाल को एवं अन्य रेस्पोडेंट्स प्रतिवादीगण को 0.08 आराजी दी है, परन्तु खसरा नम्बर 43 रकबा 2 बीघा आराजी के बाबत उक्त आदेश एवं फाईनल डिक्री में कोई विभाजन नहीं किया गया है जबकि राजस्थान रेवेन्यु बोर्ड के नियम 18 से 21 की विधिवत पालना की जानी थी और प्रत्येक खसरा नम्बर 29 एवं 43 के 1/2 भाग आराजी का विधिक रूप से विभाजन किया जाना चाहिए था जो कि उक्त प्रकरण में उक्त प्रकार की कानूनी कार्यवाही अमल में नहीं लायी गयी है इस कारण से उक्त आदेश एवं फाईनल डिक्री निरस्त होने योग्य है । अतः अपील

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त की जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की गैर मौजूदगी में उन्हें एवं उनके अभिभाषक को सुने बिना एवं नोटिस दिये बिना लोक अदालत में आदेश एवं फाईनल डिक्री दिनांक 23.05.2016 पारित की है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 29 का बंटवारा कर दिया है, जो गलत है । खसरा नम्बर 43 बाबत कोई आदेश पारित नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय को हमारी मौजूदगी में बंटवारा करवाया जाना चाहिए था । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व फाईनल डिक्री अपास्त की जाये । अपने पक्ष के समर्थन में आर आर टी 2003 (1) पेज 647, आर आर डी 2009 पेज 379, आर आर डी 2019 पेज 206, आर आर डी 2019 पेज 577 उद्धरत की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई । लिखित बहस में कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट ने धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा प्रस्तुत किया था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया अपीलाधीन आदेश निष्पक्ष एवं सही है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि निर्णय में नहीं की गई है । वादग्रस्त आराजी पूर्व में देवीलाल व बद्धा के संयुक्त खातेदारी में बराबर हिस्से दर्ज थी । सैटलमेंट में बद्धा को लावारिस मरना बताकर देवीलाल ने अकेले उक्त भूमि स्वयं के खाते दर्ज करवा ली जो विधि विरूद्ध थी । देवीलाल के देहान्त के बाद रेस्पोडेंट मांगीलाल एवं रेस्पोडेंट 3 लगायत 7 मृतक बद्धा के जायज वारिस हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य का पूर्ण विवेचन कर गुणावगुण के आधार पर

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की गैर मौजूदगी में उन्हें एवं उनके अभिभाषक को सुने बिना एवं नोटिस दिये बिना, लोक अदालत में निर्णय एवं फाईनल डिक्री पारित की है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 29 का बंटवारा किया है तथा खसरा नम्बर 43 बाबत कोई आदेश पारित नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारान की उपस्थिति में बंटवारा करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना नहीं की गई। न्यायहित में हम अपीलांट की सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर दिया जाना उचित समझते हैं । ऐसी स्थिति में हम प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधि सम्मत सुनवायी कर निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व फाईनल डिक्री दिनांक 23.05.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी पक्षकारों को उचित सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान कर राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.12.2020 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा